चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः– पी0ए0/2670
दिनांक : 27.04.2020

सचिव,
स्ववित्त पोषित महाविद्यालय,
संघ, उत्तर प्रदेश,

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2020 को एक पत्र ई–मेल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी(कुलसचिव) की मेल आई0डी0 पर भेजा है जो कि विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या–पी0ए0/2665 दिनांक 19.04.2020 के सन्दर्भ में है। उक्त के क्रम में आपको पुनः संज्ञानित कराना है कि उपरोक्त पत्र की सूचना शासन के पत्र संख्या–226/सत्तर–2–2020–18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 एवं शिक्षा निदेशक (उ0शि0) प्रयागराज के पत्र संख्या–शि0नि0(उ0शि0)मैमो/2020–21 दिनांक 13.04.2020 के पत्र के क्रम में चाही गयी है। जिससे कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में सन्दर्भित प्रकरण का परिपालन निश्चित समयावधि में किया जा सके। यदि आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचनाऐ उपलब्ध नही करायी जाती है, और मा0 न्यायालय में उपरोक्त विचाराधीन प्रकरण पर कोई विपरीत आदेश/निर्देश प्रदान किये जाते है तो उस स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान (जिसके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करायी गई होगी) का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्राविधानित नियमोर्न्तगत विश्वविद्यालय कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–पी0ए0/2665 दिनांक 19.04.2020 के आलोक में आप सन्दर्भित सूचनायें विश्वविद्यालय पोर्टल पर दिये गये लिंक **http://ccsuniversity.ac.in/ccsu/ccs_college_uploadindex.php** पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,मेरठ।
03. प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

27.04.2020

कुलसचिव